उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

संशोधन

क्रमांक बी/3159 जबलपुर, दिनाँक **24/05/2025**
तीन–18–180/75 (गाइड लाईन)

रजिस्ट्री परिपत्र क्रमांक सी/1560/तीन–18–180/75 (गाईडलाईन), दिनाँक 11.04.2022 की कंडिका–(8) की उपकंडिका (vii) में शब्द **'निज सहायक एवं स्टेनोग्राफर'** विलोपित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जावें :–

(8) अंतर जिला स्थानांतरण हेतु उपरोक्तानुसार प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, आवेदन पत्र, सहमति/असहमति इत्यादि के मामलों में :–

(vii) जिन कर्मचारियों की वरीयता सूची रजिस्ट्री स्तर पर संधारित होती है अर्थात प्रशासनिक अधिकारी, उप–प्रशासनिक अधिकारी, लेखापाल, वरिष्ठ निज सहायक के अतिरिक्त, अन्य तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के, पारस्परिक सहमति एवं एकल अंतर–जिला स्थानांतरण के मामलों में नवीन जिला स्थापना पर कर्मचारियों की वरिष्ठता उसके संबंधित प्रवर्ग में पदभार ग्रहण करने की तिथि से गिनी जावेगी, इस हेतु कर्मचारी को आवेदन में ही लिखित सहमति देनी होगी। स्थानांतरित कर्मचारी का नाम, नवीन पदस्थापना पर उनके प्रवर्ग की वरीयता सूची में, अंतिम प्रक्रम पर रखा जावेगा।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

24/5/25

मुकेश रावत
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)

पृ.क्रमांक बी/3160 जबलपुर, दिनाँक **24/05/2025**
तीन–18–180/75 (गाइड लाईन)

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय (राज्य के समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर

...2...

निर्देशित किया जाता है कि रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/4026 दिनाँक 22.05.2025 द्वारा स्थानांतरित निज सहायक/स्टेनोग्राफर कर्मचारियों की वरिष्ठता नवीन जिले में, उनके प्रवर्ग की पदक्रम सूची में, अंतिम क्रम पर रखी जावें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त संशोधन की सूचना आपकी स्थापना पर पदस्थ समस्त निज सहायक एवं स्टेनोग्राफर को प्रदान की जावें।

2. प्रशासनिक अधिकारी, जिला स्थापना अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुकेश रावत
रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)